न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 01/20 **निर्णय दिनांकः–** 10-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2020/00009)

1. पूर्णाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गीतादेवी पुत्री तुलछाराम पत्नि गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी साईसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. उपपंजीयक, नोखा
3. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार, नोखा।
4. लिखमीचन्द पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गीगासर तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. अपील संख्याः 02/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00008)

1. पूर्णाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गीतादेवी पुत्री तुलछाराम पत्नि गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी साईसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. उपपंजीयक, नोखा
3. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार, नोखा।
4. लिखमीचन्द पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गीगासर तहसील व जिला बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपीलें विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 व 16–08–2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश मदान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 व 16–08–2019 जिसके द्वारा अपीलांट् के विरूद्व एकपक्षीय तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों को एक समान निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रासीसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 466 तादादी 6.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 740 तादादी 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1144/473 तादादी 0.51 हेक्टर कुल तादादी 9.30 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट के पिता स्व. तुलछाराम पुत्र भींयाराम की स्व–अर्जित भूमि थी जिसकी वसीयत तुलछराम ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के नाम से रूबरू गहावान दिनांक 12–02–1999 को सम्पादित कर दी गई थी। उक्त वसीयत स्व. तुलछाराम की अंतिम वसीयत है। तुलछाराम जी के स्वर्गवास के उपरान्त उपरोक्त कृषि भूमि अपीलांट को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो गया था। परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि तुलछाराम की पुत्री है, के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाते हुए अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् एकतरफा डिक्री प्राप्त करते हुए अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 18—09—2018 को वादपत्र रजिस्टर्ड करते हुए प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त पेशी पर प्रतिवादी/अपीलांट को किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी करने का अंकन आदेशिका पर नहीं है। तदुपरान्त आगामी पेशी दिनांक 01—11—2018 को पूर्व में जारी सम्मनों के पत्रावली में से जारी हुए बिना ही प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। उक्त आदेश की पालना में जो सम्मन रजिस्टर्ड जारी किये गये थे, उक्त सम्मन अपीलांट/प्रतिवादी को तामील हुए बिना ही अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी सम्मनों के आधार पर बिना तामीली की सुनिश्चितता किये बिना अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त विभाजन के प्रस्ताव हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार करवाये जाने चाहिए थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई। ना ही तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर उपस्थित होकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये। प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार किये गये है, जिस पर तहसीलदार द्वारा काऊन्टर साईन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के विरूद्व जाकर प्रस्ताव पेश किया जाना साबित है। विभाजन के मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार करें। जबकि प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा मौके पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत का उक्त कृत्य माननीय राजस्व मण्डल की मंशा के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है क्योंकि विभाजन के मामलें में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों के धारण की भूमि व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हो सकता है। वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छुपा कर अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसे प्रस्तुत करने का रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार हासिल नहीं था क्योंकि वादग्रस्त भूमि जरिये वसीयत अपीलांट को प्राप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक व हकूक समाप्त हो चुके थे। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों की जॉच किये बिना अपीलांट् के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसे एकतरफा आदेश की कानून में कोई मान्यता न तो कभी थी और ना ही है। यदि अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाता तो वादग्रस्त भूमि के बाबत् सभी वास्तविक तथ्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये जाते। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के खातेदार है तथा उक्त भूमि तुलछाराम की स्वअर्जित भूमि होने से उक्त भूमि पर तमाम अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो चुके है। अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से मात्र छह पेशियों में ही अपीलाधीन आदेश एवं डिकी पारित की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी एकतरफा डिकी किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया किया चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित की गई है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–11–2019 को प्राप्त हुई, जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 वादग्रस्त भूमि पर आये तथा कहा गया कि उक्त भूमि के विभाजन की डिक्री प्राप्त कर ली तथा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान कर दी गई है इसलिए कब्जा छोड़ देवें। इस प्रकार अपीलांट को अदालत मातहत के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–11–2019 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 27–11–2019 को नकल आदि प्राप्त करने के उपरान्त बिना किसी विलम्ब के अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसप्रकार अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 पार्ट II पेज 967, आरआरडब्ल्यू 2017 पार्ट II पेज 794, आरआरटी 2018–19 स्प. पेज 342, आरएलडब्ल्यू 2018 पार्ट I आरजे पेज 674, आरआरटी 2016–17 स्प. पेज 597 व आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 403 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रासीसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 466 तादादी 6.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 740 तादादी 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1144/473 तादादी 0.51 हेक्टर कुल तादादी 9.30 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. तुलछाराम के नाम से थी। तुलछाराम जी के स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अविभाजित संयुक्त खाते की कृषि भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित होने से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ... मी ... ारें के अनुरूप ही भुमि सुधार व मौके पर बा... आदि प्राप्त नहीं कर पाने के कारण व पारिवारिक लड़ाई झगड़ें व प्रातिवादी संख्या 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

दिन—प्रतिदिन कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से बचने के लिए व वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हेतु अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 18—09—2018 को प्रस्तुत पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त सम्मन जारी होने के निर्धारित अवधि एक माह तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा चार पेशियों तक इंतजार करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को विधिवत तामील नहीं करवाई गई है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाते हुए पर्याप्त समय गुजरने के उपरान्त प्रतिवादी के विरूद्व एकरतफा कार्यवाही की गई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् तुलछाराम अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलांट/प्रतिवादी के हक में वसीयत दिनांक 12—02—1999 को निष्पादित की गई थी। उक्त वसीयत को आधार बनाते हुए अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने अधिकार निहित होने का कथन किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 द्वारा कथन किया किया कि अपीलांट द्वारा उक्त वसीयत के आधार अपने अधिकारों की धोषणा करवाने हेतु किसी भी सिविल न्यायालय में चाराजोई नहीं की गई ना ही उक्त वसीयत को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय से प्रोबेट ही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में बिना सक्षम न्यायालय के प्रोबेट करवाये उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है। वैसे भी यदि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के बाबत् उक्त वसीयत के आधार पर अपने अधिकार मानते थी है तो ऐसीस्थिति में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपने अधिकारों की ध[illegible] सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी क्योंकि वसीयत [illegible] गलत होने का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व [illegible]लय को प्राप्त न होकर सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय में उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट को किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसीस्थिति में उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकते है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के धारण एवं कब्जे काश्त की भूमि का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं? अर्थात वादाधीन भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में अदालत मातहत के निर्देशों के अनुसरण में संबंधित पटवारी द्वारा वहॉ मौजूद पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के नियम 18 से 21 पूर्ण रूप से पालना करते हुए विभाजन को प्रस्ताव तैयार किये गये तथा विभाजन के प्रस्ताव में सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन पक्षकारों के मध्य करते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी के अनुरूप पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है।

प्रकरण में यदि अपीलांट के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के उपस्थित नहीं आने पर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधान को भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल करते हुए सभी सहखातेदारों को [illegible] उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र इस आधार कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई [illegible] व सबूत का का अवसर प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

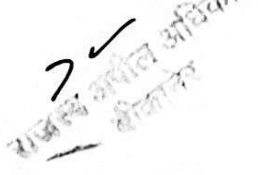

नहीं किया गया है, अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—06—2019 व 16—08—2019 के विरूद्व अपील दिनांक 30—12—2019 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पर में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे समस्त कारण वेग है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त शपथ पत्र कानूनन पढ़ने योग्य नहीं है। ऐसीस्थिति में बिना शपथ पत्र के होने के कारण मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। अतः अपीलांट की अपीलें मियांद के बिन्दु के साथ—साथ गुणावुगुण पर खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल कोर्ट केसेज 2002 पार्ट III पेज 437, एआईआर 2002 एससी पेज 3557 एवं सिविल कोर्ट केसेज 1988 (पंजाब एण्ड हरियाणा) पेज 604 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—06—2019 व 16—08—2019 के विरूद्व अपील दिनांक 30—12—2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25—11—2019 को अंकित किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 मियांद की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी किन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से प्रस्तुत की गई है।, अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.05 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, तो ऐसे मामलों में न्यायालय को मियांद के तकनीकी बिन्दु पर नरम रूख अपनाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत होगा। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि ग्राम रासीसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 466 तादादी 6.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 740 तादादी 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1144/473 तादादी 0.51 हेक्टर कुल तादादी 9.30 हेक्टर भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–06–2016 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 16–08–2019 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन किय कि वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. तुलछाराम की स्वअर्जित भूमि थी। जिसके बाबत् तुलछाराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 12–02–1999 को एक वसीयत अपीलांट के नाम से रूबरू गवहान कर दी थी, जोकि उनक अंतिम वसीयत थी। ऐसी स्थिति में तुलछाराम जी के स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के अधिकार स्वतः निहित हो चुके थे तथा वे वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफ तौर पर डिक्री पारित की गई है। जो कानून की परिभाषा में शून्य है। इसी के साथ अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा यह विभाजन बिना कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अर्थात् विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना खाता विभाजन किया गया है। ऐसा खाता विभाजन कानूनन प्रभाव शून्य व न्याय की दृष्टि से दूषित है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:59:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट की सर्वप्रथम आपत्ति यह है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् स्व. तुलछराम द्वारा दिनांक 12—02—1999 को एक वसीयत अपीलांट के नाम से कर दी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यदि अपीलांट की उक्त आपत्ति को स्वीकार भी कर लिया जावे तब भी अपीलांट द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की धोषणा करवाने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत के सही/गलत होने का जब तक निर्धारण नहीं हो जाता, अथवा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट सक्षम न्यायालय में उपस्थित आकर अपने अधिकारों की धोषणा नहीं करवा लेते तब तक उक्त वसीयत के आधार पर स्व. तुलछाराम के अन्य वारिसान अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपीलांट उक्त वसीयत के आधार पर प्रस्तुत मामलें में किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सवंत् 2073—2076 अर्थात रिकार्डस ऑफ राईटस के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादाधीन भूमि के विभाजन की इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अंकित पते का भी अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा **अपीलांट/प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस पूर्णाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी रासीसर तहसील नोखा के पते पर प्रेषित किया गया था,** अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट/प्रतिवादी का यही पता अंकित किया गया है। जिससे यह तथ्य भलींभांति साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को सही पते पर सम्मन प्रेषित कि[illegible] थे। अ[illegible]तिवादी के निर्धारित समयावधि में अदालत के समक्ष उपस्थित [illegible]हीं [illegible] पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की ग[illegible] कार्यवाही है। न्यायालय अन्तहीन समय तक किसी पक्षकार [illegible] उपस्थित आने का इंतजार नहीं कर सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2002 एससी पेज 3557 में अभिनिर्धारित किया गया है कि:—

Issue of summons for service by post- Presumption of service - Summons proved to have been sent by registered post to a correct and given address - It can be presumed that notice is duly served on the defendant who occupied tenanted premises jointly against them - Ex parte eviction decree passed against them - Not liable to be set aside on grounds that summons were not duly served. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

प्रस्तुत मामलें में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें व विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वे वादगत् भूमि के बाबत् मौके पर क़ब्जे काश्त व पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार प्रस्तुत करें। अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में वादगत् भूमि के बाबत् मौके पर कब्जे काश्त व पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार किया गया। उक्त नजरी नक्शे व मौका रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वादगत् भूमि का विभाजन का प्रस्ताव सही रूप से अर्थात बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छे से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन सभी पक्षकारों को रास्ता उपलब्ध कराते हुए खाता विभाजन की रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन की विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है का कोई औचित्य प्रतीत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में हमने अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील व दौराने बहस प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तामील के संबंध में की गई प्रक्रियात्मक गलती का व विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं किये जाने का विवेचन किया गया है। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक–हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारो का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट द्वारा मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाते हुए अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 व 16–08–2019 उपखण्ड अधिकारी, नोखा बहाल रखा जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 10-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर